



<p>तारीख हुक्म</p>	<p>सुनना व नाम हजमान वजे हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज दावा सु. न - 33/2000</p>
<p>23.05.2022</p>	<p>पत्रावली आज पेश हुई। वकुलाय उभय पक्षकारान् अनुपस्थित। प्रकरण में कोर्ट समाप्ति तक रुक-रुक कर बार-बार आवाज दिलवाई गई। वकुलाय उभय पक्षकारान् एवं पक्षकारान् में से कोई हाजिर अदालत नहीं आये है। अतः वकुलाय उभय पक्षकारान् एवं पक्षकारान् की अनुपस्थिति में दावा अदम हाजरी व अदम पैरवी में खारीज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफतर हो।</p> <p style="text-align: right;">  (दिलीप सिंह) उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर) </p> <div style="text-align: right; margin-top: 20px;"> <p>आपके द्वारा दिए गए दस्तावेजों का प्रमाणित किया गया है। नकली प्रमाणित नहीं है। प्रमाणित करने वाले का नाम: श्रीमाधोपुर (सीकर) तिथि: 23/05/2022</p>  </div>